

26-8-19 पत्रावली पेश हुई। पक्ककारान वकील
उपरोक्त पक्ककारान वकील फ़ैनांक
18-8-09 को जारी आदेश को मूलवाद
के निस्तारक तक कम्पर्म कराने हेतु
सहमत है और सहमतिके आधार
पर दि० 18-8-09 को जारी आदेश
से मूलवाद के निस्तारक तक उभय पक्ष
को पाबन्द किया गया। पत्रावली नंबर
शुमार टैकर इन नम्बर से कम है।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लोक